[1962] 3 एस.सी.आर 590

रामरतन और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य

(के. एन. वांचू, के. सी. दास गुप्ता और जे. सी. शाह, न्यायमूर्तिगण)

साक्ष्य- एकमात्र गवाह- पुष्टि- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1/1872), धारा 157

अपीलार्थियों को एक गवाह की गवाही पर हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के एक अन्य गवाह ने गवाही दी कि पूर्व गवाह ने घटना के तुरंत बाद उसे बताया था कि अपीलार्थी हत्या के लिए जिम्मेदार थे। जो सवाल उठा वह यह था कि क्या पूर्व गवाह के लिए भी न्यायालय में यह गवाही देना आवश्यक था कि उसने घटना के तुरंत बाद दूसरे गवाह को हत्यारों के नाम बताए थे या क्या उसके पूर्व बयान की पुष्टि को न्यायालय में उसके बयान के बिना भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत साबित किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत यह आवश्यक नहीं है कि उस गवाह को, जिसके कथन की पुष्टि की जानी है, न्यायालय में अपनी गवाही में यह भी कहना होगा कि उसने पूर्व बयान उस गवाह को दिया था जो उसकी पुष्टि कर रहा था। धारा 157 के तहत यह आवश्यक था कि उस गवाह को, जिसके कथन की पुष्टि की जानी है, न्यायालय में किसी तथ्य का साक्ष्य देना होगा और यदि ऐसा किया गया था तो उस तथ्य के संबंध में न्यायालय में उसकी गवाही की उसी तथ्य के संबंध में उसके द्वारा दिए गए किसी भी पूर्व बयान से पुष्टि की जा सकती है।

एम.टी. मिसरी बनाम एम्परर, ए. आई. आर. 1934 सिंध 100 और नजर सिंह बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1951 पेप्सू 66 में गलत निर्णय लिया गया माना गया है।

एक सामान्य नियम के रूप में एक न्यायालय एक गवाह की गवाही पर कार्यवाही कर सकता है, भले ही वह अपुष्ट हो और यह सवाल कि एक गवाह की गवाही की पुष्टि आवश्यक थी या नहीं, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए।

वेमीरेड्डी सत्यनारायण रेड्डी बनाम हैदराबाद राज्य, (1956) एस. सी. आर. 247, विशिष्ट। वेदिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य (1957) एस. सी. आर. 981 का अनुपालन किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 248/1960

डी. बी. आपराधिक अपील सं. 290/1960 और डी. बी. आपराधिक हत्या संदर्भ सं. 7/1960 में राजस्थान उच्च न्यायालय के 31 अक्टूबर, 1960 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील

आर. एल. आनंद, सी. एल. सरीन और आर. एल. कोहली: अपीलार्थियों की ओर से प्रतिवादी के लिए एस. के. कपूर और टी. एम. सेन

13 सितंबर 1961। न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश वांचू द्वारा दिया गया – यह राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय से विशेष अनुमित द्वारा एक अपील है। यह अपील उस घटना से उत्पन्न हुई है जिसमें 8 मई, 1959 को दोपहर 3 बजे से कुछ समय पहले पीली बंगा की मंडी में भीमसेन की हत्या कर दी गई थी। अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह थी कि अपीलकर्ता रामरतन और भीमसेन के परिवार के सदस्यों के बीच पंचायत चुनावों के कारण मनमुटाव था, जिसमें उन्होंने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों का समर्थन किया था। रंजिश का एक अन्य कारण यह था कि घटना से कुछ समय पहले अपीलार्थी रामरतन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मुकदमा चलाया गया था और भीमसेन को उस मामले में अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया गया था और रामरतन को यह पसंद नहीं आया।

भीमसेन और उसके पिता 7/8 मई, 1959 की रात को बिक्री के लिए कुछ चने पीली बंगा लाए। भीमसेन और चने लाने के लिए गाँव लौट आया और 8 तारीख को सुबह के लगभग 10/11 बजे अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली पर अपने भाई राम प्रताप के साथ वापस आया। रूपराम के माध्यम से वे चने बेचे जाने थे और मंडी में उसकी दुकान के सामने चने का ढेर लगा दिया गया। राम प्रताप को स्पष्ट रूप से बिक्री में दिलचस्पी नहीं थी और वह अपने पिता जवानाराम और अपने भाई को दुकान पर छोड़कर कहीं चला गया। अपराह 3 बजे से कुछ समय पहले जब लेखराम तौलकर्ता द्वारा चने का वजन किया जा रहा था, तीन अपीलकर्ता और दो अन्य (अर्थात् मोमन और रामसिंह) बंदूकों से लैस होकर वहां आए। रामरतन चिल्लाया कि दुश्मन को भागने नहीं देना है, क्योंकि भीमसेन इन लोगों को देखकर खुद को बचाने के लिए रूपराम की दुकान में घुसने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, इससे पहले कि भीमसेन रूपराम की दुकान में घुस पाता, रामरतन बीच में आ गया और करीब 5 फीट की दूरी से उस पर गोली चला दी। भीमसेन घायल होकर गिर पड़ा और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। जवानाराम ने अपने हाथ उठाए और हमलावरों से भीमसेन को न मारने के लिए कहा, लेकिन अपीलकर्ता हंसराज ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसके बाएं हाथ पर घाव हो गया, जिसके

परिणामस्वरूप उसके मिश्रित अस्थिभंग हो गया। मणिराम ने भी जवानाराम पर गोली चलाई लेकिन वह जमीन पर गिर गया और तौलकर्ता लेखराम के छर्रे लग गए, जो जवानाराम के पीछे खड़ा था। उसके बाद सभी हमलावर वहाँ से भाग गए। घटना के समय रूपराम ने अपनी दुकान बंद कर दी थी और वह तभी बाहर आया जब सब कुछ समाप्त हो गया था। जवानाराम ने उससे पुलिस थाना सूरतगढ़ को टेलीग्राम भेजने को कहा और पांचों हमलावरों के नाम बताए। इसके बाद जवानाराम पीली बंगा पुलिस चौकी रिपोर्ट करने के लिए जाने लगा; लेकिन रास्ते में रूपराम की दुकान से थोड़ी दूरी पर उसे कॉन्स्टेबल रामसिंह मिला। इसके बाद जवानाराम ने उसी समय कॉन्स्टेबल रामसिंह को रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) प्रस्तुत की। जब यह रिपोर्ट दर्ज की जा रही थी, राम प्रताप भी वहाँ आ गया। रिपोर्ट दर्ज की जाने के बाद जवानाराम को अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ 3:30 बजे उसकी चोटों की जाँच की गई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कॉन्स्टेबल रामसिंह घटनास्थल पर गया जहां रूपराम के दुकान के सामने उसे भीमसेन का शव पड़ा मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि हेड-कॉन्स्टेबल गोविंद सिंह कहीं बाहर गए थे और शाम 5 बजे वापस आए और उसके बाद उन्होने जांच शुरू की। उसके बाद लगभग शाम 6 बजे सब-इंस्पेक्टर घटनास्थल पर आ गए और जांच अपने हाथ में लेकर उसे पूरा किया। इसके बाद, तीन अपीलार्थियों और दो अन्य, जिनको सत्र न्यायाधीश द्वारा बरी कर दिया गया था, पर हत्या के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया। अपीलार्थियों का कहना था कि उन्होंने यह अपराध नहीं किया था और रंजिश के कारण उन्हें फंसाया गया था। उन्होंने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया।

मुख्य अभियोजन साक्ष्य में जवानाराम, उसके बेटे राम प्रताप, रूपराम और लेखराम के बयान शामिल थे कि घटनास्थल पर क्या हुआ था। जवानाराम ने पूरी कहानी को ऊपर दिए गए अनुसार वर्णित किया। रामप्रताप ने बताया कि हमलावरों को उस ओर जाते देख वह घटनास्थल के पास आ गया और कुछ दूरी पर छुप गया और वहीं से उसने घटना देखी। रूपराम का बयान था कि जैसे ही उसने बाहर शोर सुना, उसने अपनी दुकान बंद कर दी और उसने हमलावरों को नहीं देखा। हालाँकि, जब वह बाहर आया, तो जवानाराम ने उसे पांचों हमलावरों के नाम बताए और उसने भीमसेन को मृत पड़ा देखा। उसने अपनी दुकान के अंदर से गोली चलने की तीन आवाजें भी सुनी थीं। उसने देखा की जवानाराम और लेखराम भी वहाँ घायल हो गए थे और जवानाराम कुछ ही समय बाद रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चला गया। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। लेखराम ने कहा कि वह वहाँ चने तौल रहा था। चार या पाँच लोग बंदूकों से लैस होकर वहाँ आए और चिल्लाये और 2–3 फायर कर दिये, जिसके परिणामस्वरूप भीमसेन, जवानाराम और वह घायल हो गए और भीमसेन की तुरंत मृत्यु हो गई। लेकिन वह यह नहीं बता सका कि कटघरे में मौजूद पांचों

व्यक्ति हमलावर थे। कुछ उत्तरों के कारण, जो इस गवाह ने जिरह में दिए थे, इसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

सत्र न्यायाधीश ने जवानाराम के बयान पर भरोसा किया और तीनों अपीलार्थियों को दोषी ठहराया। हालाँकि, उन्होंने बाकी दो हमलावरों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। उन्होंने राम प्रताप के बयान पर भरोसा नहीं किया क्योंकि उनका विचार था कि राम प्रताप शाम के करीब 6 बजे तक मंडी में नहीं आया था। उन्होंने लेखराम के बयान पर भी भरोसा नहीं किया, क्योंकि जहां तक अपराध के साथ अपीलकर्ताओं के संबंध का सवाल था, उसके कथन किसी भी प्रकार सार्थक नहीं थे। रूपराम के विषय में उन्होंने कहा कि उसका यह बयान कि जवानाराम ने उसे घटना के तुरंत बाद जब वह अपनी दुकान से बाहर आया तब हमलावरों के नाम बताए थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत जवानाराम के बयान की पृष्टि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जवानाराम ने न्यायालय में दिए अपने बयान में यह नहीं कहा था कि उसने रूपराम को पांचों हमलावरों के नाम बताए थे। उन्हें यह भी संदेह था कि क्या रिपोर्ट (एक्स पी–1) दोपहर 3 बजे दर्ज की गई थी और उनका विचार था कि यह शाम 6 बजे तक किसी भी समय दर्ज की गई होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने केवल जवानाराम के साक्ष्य पर पूरा भरोसा किया और तीन अपीलार्थियों को दोषी उहराते हुए रामरतन को मृत्युदंड और अन्य दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके बाद दोषी व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई। सत्र न्यायाधीश ने रामरतन को दी गई मौत की सजा की पुष्टि के लिए एक संदर्भ भी दिया। उच्च न्यायालय ने इस अपील को खारिज कर दिया। इसने जवानाराम के साक्ष्य को भी मुख्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। उच्च न्यायालय की राय थी कि रामप्रताप अपने भाई भीमसेन के साथ सुबह के लगभग 10/11 बजे पीली बंगा आया था, जब यह घटना हुई; लेकिन उच्च न्यायालय ने वास्तविक घटना के बारे में उसके साक्ष्य पर भरोसा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनका मानना था कि जहां उसने कहा था कि वह छिपा हुआ था, वह घटना को ठीक से नहीं देख सका। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने लेखराम के साक्ष्य को अधिक महत्व नहीं दिया क्योंकि इसके बयान से अपीलकर्ता ही अपराधी थे यह साबित नहीं होता है। लेकिन उच्च न्यायालय की राय थी कि रूपराम का यह बयान कि जवानाराम ने उसे घटना के तुरंत बाद पांच हमलावरों के नाम बताए थे, साक्ष्य में स्वीकार्य है और इसे जवानाराम के बयान की पुष्टि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने माना कि रूपराम का यह बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के साथ साथ धारा 157 के तहत भी स्वीकार्य है। इसलिए उच्च न्यायालय ने जवानराम के साक्ष्य पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसकी पुष्टि रूपराम के साक्ष्य से हुई थी। उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया, अपीलकर्ताओं ने विशेष अनुमित के लिए इस

न्यायालय में आवेदन किया जिसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई; और इस तरह मामला हमारे समक्ष आया है।

अपीलार्थियों की ओर से हमारे समक्ष दो मुख्य तर्क दिये गए हैं। सबसे पहले, यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण सही नहीं था कि रूपराम का बयान साक्ष्य अधिनयम की धारा 6 और धारा 157 के तहत स्वीकार्य है और जवानाराम के बयान की पुष्टि करता है। दूसरा, तर्क यह दिया गया कि एक बार जब रूपराम के बयान को अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया गया है, तो केवल जवानाराम का बयान ही अपीलार्थियों को अपराध से जोड़े रखता है और इस मामले की परिस्थितियों में अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए एकमात्र साक्ष्य को अपर्याप्त माना जाना चाहिए।

इसलिए अपील में पहला सवाल यह उठता है कि रूपराम का इस आशय का बयान कि जब वह घटना के तुरंत बाद अपनी दुकान से बाहर आया था तब जवानाराम ने उसे बताया था कि भीमसेन की हत्या और लेखराम और उसे स्वयं को लगी चोटों के लिए अपीलकर्ता और दो अन्य व्यक्ति जिम्मेदार थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत स्वीकार्य है या धारा 157 के तहत। हम इस पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते कि रूपराम का यह बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत स्वीकार्य है या नहीं और हम ख़ुद को इस सवाल तक ही सीमित रखेंगे कि क्या इसे जवानाराम के बयान के समर्थन के रूप में धारा 157 के तहत स्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता मिस्री बनाम सम्राट (ए. आई. आर. 1934 सिंध 100), और नज़र सिंह बनाम राज्य (ए. आई. आर. 1951 पेप्सू 66) पर भरोसा करते हुए तर्क देते हैं, जो उनका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि जब तक वह गवाह जिसके बयान की पुष्टि की जानी है, न्यायालय में अपने बयान में यह नहीं कहता कि उसने घटना के तुरंत बाद कुछ बातें किसी अन्य व्यक्ति को बताई थीं, तब तक दूसरा व्यक्ति साक्ष्य देकर यह नहीं कह सकता कि गवाह ने उसे घटना के तुरंत बाद कुछ बातें बताई थीं। तर्क यह है कि धारा 157 द्वारा परिकल्पित पुष्टि न्यायालय में गवाह के बयान से होती है कि उसने गवाह के बयान की पृष्टि करने वाले व्यक्ति को कुछ बातें बताई थीं, और यदि, गवाह ने न्यायालय में यह नहीं कहा कि उसने उस व्यक्ति को कुछ बातें बताई थीं, वह व्यक्ति यह कथन नहीं कर सकता कि गवाह ने घटना के तुरंत बाद उसे कुछ बातें बताई थीं और इसलिए, उसके कथन की पुष्टि करता है। हमारी राय है कि यह तर्क ग़लत है।

धारा 157 इन शर्तों में है:-

"किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित, उस समय पर या जब वह तथ्य घटित हुआ था, या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्व कथन साबित किया जा सकेगा।"

यह स्पष्ट है कि केवल दो बातें हैं जो इस धारा को लागू करने के लिए आवश्यक हैं। पहली यह कि किसी गवाह को किसी तथ्य के संबंध में गवाही देनी चाहिए। दूसरी यह है कि उसे उसी तथ्य के संबंध में पहले या उस समय के बारे में बयान देना चाहिए था जब यह तथ्य घटित हुआ था या तथ्य की जांच करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष बयान देना चाहिए था। यदि ये दोनों बातें मौजूद हैं, तो पूर्व बयान को न्यायालय में गवाह के बयान की पुष्टि करने के लिए साबित किया जा सकता है। पहला बयान लिखित रूप में हो सकता है या किसी व्यक्ति को उस समय या उसके आसपास मौखिक रूप से दिया जा सकता है जब घटना घटित हुई हो, यदि यह किसी व्यक्ति को उस समय या उसके आसपास मौखिक रूप से दिया गया हो जब घटना घटित हुई हो, वह व्यक्ति पूर्व कथन के प्रति गवाही देने और न्यायालय में गवाह की गवाही की पुष्टि करने के लिए सक्षम होगा। धारा 157 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आवश्यक हो कि वह गवाह, जिसके बयान की पुष्टि की जानी है, को न्यायालय में अपनी गवाही में यह भी कहना होगा कि उसने वह पूर्व बयान उस गवाह को दिया था जो उसकी पृष्टि कर रहा है। यह सच है कि अक्सर ऐसा होता है कि पृष्टि किया जाने वाला गवाह कहता है कि उसने इस तथ्य के बारे में किसी व्यक्ति को पूर्व बयान दिया था और फिर वह व्यक्ति गवाह-बॉक्स में प्रवेश करता है और कहता है कि जिस गवाह के कथन की पृष्टि की जानी है उसने उस तथ्य के बारे में या उस समय के बारे में उसे एक बयान दिया था जब यह घटना घटित हुई थी। लेकिन हमारी राय में धारा 157 के शब्दों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं है कि पृष्टि किए जाने वाले साक्ष्य को स्वीकार्य बनाने के लिए, उस गवाह को, जिसके कथन की पृष्टि की जानी है, अपने साक्ष्य में यह भी कहना होगा कि उसने उस गवाह के सामने उस समय या उसके आसपास जब यह घटना घटित हुई थी तब ऐसा और ऐसा बयान दिया था, जिसे उसकी पुष्टि करनी है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि धारा 157 के तहत यह आवश्यक है कि उस गवाह को, जिसके कथन की पुष्टि की जानी है, न्यायालय में किसी तथ्य का साक्ष्य देना होगा। यदि ऐसा किया गया है, तो न्यायालय में उसकी गवाही की पुष्टि धारा 157 के तहत उसी तथ्य से संबंधित उसके द्वारा दिए गए किसी भी पूर्व बयान से की जा सकती है, और यह आवश्यक नहीं है कि जिस गवाह के कथन की पृष्टि की जानी है वह न्यायालय में अपने बयान में यह भी कहे कि उसने उस समय या उसके आसपास अमुक व्यक्ति को यह बताया था जब यह घटना घटित हुई थी। हमारी राय में धारा 157 के शब्द स्पष्ट हैं और पूर्व कथन को पुष्टिकरण के रूप में स्वीकार्य बनाने के लिए हमारे द्वारा ऊपर बताई गई केवल दो बातों की आवश्यकता है। इसलिए हमारी राय है कि सिंध और पेप्सू मामलों का निर्णय गलत तरीके से किया गया था।

अब देखते हैं कि इस मामले में क्या हुआ। जवानाराम से न्यायालय में पूछताछ की गई और उसने एक निश्चित तथ्य (अर्थात्, भीमसेन, लेखराम और उस पर हमला करने वाले पांच व्यक्ति थे जिनका उसने नाम लिया था) बताया। जवानाराम की इस गवाही की पुष्टि न्यायालय में की जानी है कि पांच लोगों ने भीमसेन, लेखराम और उस पर हमला किया था। धारा 157 उसी तथ्य के संबंध में उसके पूर्व बयान को स्वीकार्य बनाती है, बशर्ते कि यह बयान उस समय या उसके आसपास दिया गया हो जब घटना घटित हुई हो या यह बयान तथ्य की जांच करने में सक्षम किसी कानूनी प्राधिकारी के समक्ष दिया गया हो। इस मामले में हम आवश्यक दो शर्तों में से पहली शर्त से चिंतित हैं, अर्थात्, क्या उसने उसी तथ्य से संबंधित पूर्व बयान उस समय दिया था जब यह घटना घटित हुई थी। पहला बयान जिसे पुष्टिकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, वह इस तथ्य के बारे में होना चाहिए कि जवानाराम ने पांच लोगों को भीमसेन, लेखराम और खुद पर हमला करते देखा था और वह उस समय या उसके आसपास दिया गया होगा जब यह घटना घटित हुई थी यानी, जब हमला किया गया था। अब रूपराम का कहना है कि जवानाराम ने घटना खत्म होने के तुरंत बाद बयान दिया था कि तीन अपीलकर्ताओं सहित पांच लोगों ने भीमसेन, लेखराम और उस पर हमला किया था। इसलिए यह उस समय या उस समय के बारे में जवानाराम का एक पूर्व बयान था जब यह तथ्य घटित हुआ था, अर्थात भीमसेन और अन्य पर पांच व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था। यह पूर्व कथन उस व्यक्ति द्वारा सिद्ध किया जा सकता है जिसके समक्ष यह बयान दिया गया था और इसे जवानाराम के साक्ष्य की पृष्टि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रूपराम के बयान के समक्ष यह आवश्यक नहीं था कि जो कुछ उसने जवानाराम से सुना था, वह जवानाराम के लिए भी न्यायालय में अपनी गवाही में कहने पर स्वीकार्य हो सकता है कि उस ने घटना के तुरंत बाद रूपराम को भीमसेन व अन्य पांच हमलावरों के नाम बता दिए थे। पहला बयान जिसे पुष्टिकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, वह उस समय या उसके बारे में बयान है जब यह घटना घटित हुई थी, जिसकी पुष्टि के लिए गवाह द्वारा न्यायालय में सबूत दिए गए हैं। धारा 157 इस बात पर विचार नहीं करती है कि पूर्व बयान को पुष्टिकरण में साबित करने से पहले, पुष्टि किए जाने वाले गवाह को अपनी गवाही में यह भी कहना होगा कि उसने पूर्व बयान दिया था। निःसंदेह यदि वह गवाह जिसके बयान की पृष्टि की जानी है, अपनी गवाही में यह भी कहता है कि उसने पूर्व बयान किसी को दिया था, जो पृष्टि में साक्ष्य देने वाले व्यक्ति के साक्ष्य के महत्व को बढ़ा देगा, जैसे कि यदि वह गवाह जिसके बयान की पृष्टि की जानी है, अपनी गवाही में यह कहता है कि उसने किसी के सामने कोई पूर्व बयान नहीं दिया था, तो यह पुष्टि में साक्ष्य देने वाले व्यक्ति के बयान का महत्व कम कर देगा। लेकिन धारा 157 के तहत पूर्व बयान को स्वीकार्य बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि गवाह के कथन की पुष्टि करने के लिए, घटना घटित होने के समय या उसके आसपास पूर्व बयान देने के अलावा, न्यायालय में अपनी गवाही में यह भी कहना होगा कि उसने यह पूर्व कथन किया था। इसलिए हमारी राय है कि भले ही जवानाराम ने न्यायालय में अपने बयान में यह नहीं कहा कि उसने रूपराम को पांच हमलावरों के नाम बताए थे, लेकिन रूपराम का यह सबूत कि जवानाराम ने ऐसा बयान दिया था, जवानाराम की गवाही कि, पांच व्यक्तियों ने भीमसेन और अन्य पर हमला किया था, की पुष्टि के लिए धारा 157 के तहत स्वीकार्य होगा। वर्तमान मामले में इस पुष्टिकरण से जुड़े महत्व के संबंध में, यह कहना पर्याप्त है कि रूपराम एक स्वतंत्र गवाह है और भले ही जवानाराम ने साक्ष्य में यह नहीं कहा हो कि उसने हमलावरों के नाम रूपराम को बताए थे (शायद अनजाने में जैसा कि उच न्यायालय को लगता है), हम रूपराम के इस कथन को स्वीकार करने में उच न्यायालय से सहमत हैं कि जवानाराम ने तुरंत उन पांच व्यक्तियों के नाम बताए थे जिन्होंने भीमसेन, लेखराम और उस पर हमला किया था। इस प्रकार रूपराम का बयान जवानाराम के बयान की दो तरह से पुष्टि करता है: पहला, कि उसकी दुकान के सामने एक घटना हुई थी जिसमें भीमसेन की हत्या कर दी गई थी और जवानाराम और लेखराम घायल हो गए थे, और दूसरे, घटना में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बारे में जवानाराम के पूर्व बयान को साबित करता है, इस प्रकार धारा 157 के तहत न्यायालय में उसके बयान की पुष्टि करता है। इसलिए यह ऐसा मामला नहीं है जहां जवानाराम की गवाही की कोई पुष्टि नहीं है, भले ही वह घटना का एकमात्र गवाह था।

दूसरे बिंदु के संबंध में, अर्थात्, कि हमें इस मामले की परिस्थितियों में जवानाराम की एकमात्र गवाही को स्वीकार नहीं करना चाहिए, विद्वान अधिवक्ता वेमिरेड्डी सत्यनारायण रेड्डी बनाम हैदराबाद राज्य ([1956] एस. सी. आर. 247) पर भरोसा करते हैं। उस प्रकरण में एक गवाह द्वारा गवाही दी गई थी और यह आग्रह किया गया था कि वह एक सह-अपराधी था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह एक सह-अपराधी नहीं था, लेकिन टिप्पणी की कि "हम अभी भी इस विशेष मामले में महत्वपूर्ण विवरणों पर पुष्टि चाहते हैं, क्योंकि वह अपराध का एकमात्र गवाह है और उसकी एकमात्र गवाही पर चार लोगों को फांसी देना तब तक अनुचित होगा जब तक कि हमें विश्वास ना हो जाये कि वह सच बोल रहा है।" इस न्यायालय ने उस मामले में ऐसा क्यों कहा, इसका कारण यह था कि हालांकि गवाह एक सह-अपराधी नहीं था, लेकिन उसकी स्थिति कुछ हद तक एक सह-अपराधी के समान मानी गई थी, हालांकि बिल्कुल वैसी नहीं थी। उन परिस्थितियों में इस न्यायालय

ने ऐसा कहा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण विवरणों की पुष्टि की आवश्यकता होगी। हमारी राय है कि उन टिप्पणियों को उस मामले के संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में जवानाराम न तो सह-अपराधी है और न ही सह-अपराधी के समान कुछ है; वह एक साधारण गवाह है जो निस्संदेह घटना के समय मौजूद था। इस तरह के एक अकेले गवाह के मामले पर इस न्यायालय द्वारा वेदिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य ([1957] एस सी आर 981) में विचार किया गया था और पहले के मामले का जिक्र करने के बाद यह माना गया था कि एक सामान्य नियम के रूप में एक न्यायालय एकल गवाह की गवाही पर कार्यवाही कर सकता है, भले ही वह अपुष्ट हो। आगे यह अभिनिधारित किया गया कि जब तक संविधि द्वारा पृष्टिकरण पर जोर नहीं दिया जाता है, न्यायालयों को उन मामलों को छोड़कर पृष्टिकरण पर जोर नहीं देना चाहिए जहां एकल गवाह की गवाही की प्रकृति के लिए विवेक के नियम की आवश्यकता होती है, कि पृष्टिकरण पर जोर दिया जाना चाहिए, और यह कि यह प्रश्न कि क्या किसी एक गवाह की गवाही की पृष्टि आवश्यक थी या नहीं, प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। ये सामान्य सिद्धांत हैं जिन्हें हमें जवानाराम जैसे एकमात्र गवाह की गवाही के मामले में लागू करना होगा। लेकिन जैसा कि हमने अभिनिधारित किया है कि वर्तमान मामले में जवानाराम के बयान की पृष्टि रूपराम द्वारा दिए गए उसके पूर्व बयान से होती है, यह किसी एक गवाह की पूरी तरह से अपुष्ट गवाही का मामला नहीं है।

बहरहाल, जवानाराम के साक्ष्य पर सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों ने विचार किया है, और सत्र न्यायाधीश जवानाराम की एकमात्र गवाही पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए तैयार थे, जबिक उच्च न्यायालय ने भी उस गवाही को स्वीकार कर लिया है, हालांकि उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है इसकी पुष्टि रूपराम के बयान से होती है। उन परिस्थितियों में, जब जवानाराम के साक्ष्य को दोनों न्यायालयों ने पुष्टि के साथ या बिना पुष्टि के स्वीकार कर लिया है, हमें जवानाराम के साक्ष्य के मूल्य के बारे में दोनों न्यायालयों के निष्कर्ष से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता है। जवानाराम के साक्ष्य को स्वीकार करने के विरुद्ध दिये गए तर्कों पर दोनों न्यायालयों ने विचार किया है और तर्कों के बावजूद दोनों न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जवानाराम का साक्ष्य विश्वसनीय है। हम दोनों न्यायालयों के उस साक्ष्य के मूल्यांकन से सहमत हैं और यह अभिनिर्धारित करते हैं कि इस मामले की परिस्थितियों में जवानाराम के साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है। इस संबंध में जवानाराम की गवाही को कमजोर साबित करने के लिए दो मुख्य तर्क दिये गए हैं। ऐसा कहा गया कि जवानाराम ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में राम प्रताप का परिचय दिया है और सत्र न्यायाधीश ने किसी भी हाल में इस बात पर विश्वास नहीं किया कि राम प्रताप शाम 6 बजे से पहले पीली बंगा में था— हालांकि उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं माना। दूसरे, यह कहा गया है कि जवानाराम ने प्रथम

सूचना रिपोर्ट लगभग 3 बजे पेश नहीं की थी और सत्र न्यायाधीश ने यह माना कि रिपोर्ट शाम 6 बजे तक किसी भी समय पेश की गई थी– हालांकि उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं माना।

हमें इस संबंध में सबूतों से अवगत कराया गया है और हम उच्च न्यायालय के मत से सहमत हैं कि भले ही राम प्रताप ने वास्तव में घटना नहीं देखी हो, वह निश्चित रूप से अपने भाई भीमसेन के साथ लगभग 11 बजे पीली बंगा आ गया था। कांस्टेबल राम सिंह का कथन है कि जब रिपोर्ट (प्रदर्श पी–1) लगभग 3 बजे लिखी जा रही थी, तब राम प्रताप वहां आया था, जो इस तथ्य से समर्थित है कि रिपोर्ट में राम प्रताप की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है। बचाव पक्ष ने जाँच रिपोर्ट (प्रदर्श पी–4) के एक कथन पर भरोसा किया जिसमें अंत में उल्लेख किया गया है कि जवानाराम का पुत्र रामप्रताप भी जाँच रिपोर्ट के पूरा होने के दौरान आया था और उसे लाश के साथ भेजा गया था। इसका मतलब यह है कि जब जांच कार्यवाही शुरू हुई तो राम प्रताप मौजूद नहीं था और जब कार्यवाही समाप्त होने वाली थी तब वह वहां पहुंचा। इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि राम प्रताप शाम 6 बजे से पहले पीली बंगा में था ही नहीं। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं, जिन पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया है कि राम प्रताप सुबह करीब 10 या 11 बजे पीली बंगा आ गया था।

जब रिपोर्ट (प्रदर्श पी1) बनाई गई थी, उस समय के संबंध में अन्य तर्क भी हमारी राय में अनुचित है और उच्च न्यायालय ने उस संबंध में जो दृष्टिकोण अपनाया वह सही था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जवानाराम दोपहर 3:30 बजे अस्पताल पहुंचा, जैसा कि डॉ. सुदर्शन सिंह ने बताया था और उसे पुलिस ने भेजा था। इससे स्पष्ट है कि जवानाराम ने दोपहर साढ़े तीन बजे से पहले पुलिस से संपर्क किया था। इसका अर्थ यह है कि यदि उसने 3:30 बजे से पहले पुलिस से संपर्क किया होता तो उसने घटना की रिपोर्ट भी की होगी और यही बात राम सिंह कांस्टेबल ने भी बताई है। हम उच न्यायालय के मत से सहमत हैं कि इन परिस्थितियों में कांस्टेबल राम सिंह के बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। सत्र न्यायाधीश को राम सिंह के साक्ष्य पर संदेह था क्योंकि उनका विचार था कि पीली बंगा में पुलिस चौकी से राम सिंह के बयान के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे। राम सिंह से इसके बारे में पूछा गया और उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदर्श पी-1 पर डिस्पैच नंबर नहीं था क्योंकि इसे चौकी पर भेजा ही नहीं गया था, लेकिन उसने वहां से रवाना होने और अपनी वापसी और घटना के बारे में भी चौकी की डायरी में प्रविष्टियां की होंगी, हालाँकि उसे इसके बारे में याद नहीं था। राम सिंह के इस कथन के बाद चौकी से प्रविष्टियाँ प्रस्तुत न किये जाने के संबंध में सत्र न्यायाधीश का उस पर अविश्वास करना उचित नहीं था। यह बेहतर होता यदि अभियोजन पक्ष उन प्रविष्टियों को प्रस्तुत करता; लेकिन भले ही अभियोजन पक्ष राम सिंह की मौखिक गवाही पर आधारित हो, सत्र न्यायाधीश को स्वयं उन प्रविष्टियों को मंगवाना चाहिए था, यदि उनको कांस्टेबल राम सिंह की मौखिक गवाही पर विश्वास नहीं था, जो एक विश्वसनीय गवाह प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय का यह विचार कि रिपोर्ट दोपहर 3 बजे लिखी गई थी, जैसा कि राम सिंह कांस्टेबल ने कहा था, सही है। इसलिए जवानाराम की गवाही को इन दो आधारों पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

अंत में यह तर्क दिया गया कि जवानाराम ने पांच हमलावरों का नाम लिया था और उनमे से दो को बरी कर दिया गया है, और इससे पता चलता है कि जवानाराम पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि जहां तक दो आरोपी व्यक्तियों का संबंध था, सत्र न्यायाधीश ने उन्हें संदेह का लाभ दिया। उन्होंने यह नहीं माना कि उन दो व्यक्तियों के संबंध में जवानाराम का साक्ष्य झूठा था। जाहिरा तौर पर उन दो व्यक्तियों ने घटना में कोई सक्रिय भाग नहीं लिया और शायद इसी वजह से सत्र न्यायाधीश ने उन्हें संदेह का लाभ दिया; हालाँकि, जवानाराम की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए हमारी राय है कि दोनों निचले न्यायालय जवानाराम पर भरोसा करने में सही थे। उनके साक्ष्य की निस्संदेह अन्य गवाहों द्वारा इस हद तक पृष्टि की गई है कि घटना रूपराम की दुकान पर हुई थी; घटना समाप्त होने के तुरंत बाद दिया गया उसका पूर्व बयान कि तीन अपीलकर्ता और दो अन्य हमलावर थे, और जिसकी पृष्टि रूपराम के बयान से होती है। इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया जाना उचित है।

अपीलकर्ताओं में से दो (अर्थात्, मणिराम और हंसराज) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है जबिक रामरतन को मौत की सजा सुनाई गई है। रामरतन को मौत की सजा देने का कारण यह है कि उसने ही भीमसेन को गोली मारी थी। वह इस समूह का नेता भी था और दुश्मनी सीधे तौर पर उसके और जवानाराम के परिवार के सदस्यों के बीच थी। हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि ऐसी कोई आकस्मिक परिस्थिति नहीं है जो रामरतन को दी गई मौत की सजा को कम करने को उचित ठहराए।

इसलिए अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।